

उपखण्ड अधिकारी के पेश करे। मिसल  
जायं दिनांक 11/5/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली

दिनांक... 11/5/18.....

पक्षकारान/वकुलाय उपस्थित।

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत शिबिर का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायकर्म के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/सहमत अथवा मेरिट के आधार पर निधिसम्मत निरस्त किया जायेगा।

अतः इस पत्रकारों के विषय में दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रकारों राजस्व लोक अदालत केन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र (पाली) पर आयंदा दिनांक. 23/5/18..... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

23/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के मध्य  
दोला में पेश हुई। मूल वाद का निस्तारण  
होने से पत्रावली फैसल युक्त होकर  
दाखिल इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली